आयुक्त न्यायालय, सारण प्रमण्डल, छपरा

बी०एल०डी०आर० अपील वाद संख्या–09/2022

1. रामजी सिंह

बनाम्

1. बिहार सरकार।
2. राज किशोर सिंह।
3. अवध किशोर सिंह।
4. नंद किशोर सिंह।
5. उमरावती देवी।
6. मंजर इमाम।

उपस्थिति / प्रतिनिधित्व

अपीलकर्त्ता की तरफ से :– विद्वान अधिवक्ता, 1. श्री विरेन्द्र प्रसाद वर्मा।
2. श्री जितेन्द्र कुमार सिंह।

प्रतिवादी सं०–01 के तरफ से :– विद्वान सरकारी अधिवक्ता, सारण।

विपक्षी सं०–02,03,04,05,06 की ओर से:– विद्वान अधिवक्ता, 1. श्री सवलिया प्रसाद सिंह।
2. श्री उमेश कुमार मिश्रा।

आदेश

आदेश की क्रम–संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	*आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ*
25.10.2024 06.11.2024	प्रस्तुत अपीलवाद भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, महाराजगंज द्वारा वाद सं०–02 / 2021 में दिनांक–09.12.2021 को पारित आदेश के विरूद्ध अपीलकर्ता द्वारा इस न्यायालय के समक्ष दायर किया गया है। प्रस्तुत मामला जिला सीवान अन्तर्गत R.S खाता सं०–291 खेसरा सं०–648, ग्राम–लाला हाता, थाना–जामो बाजार के रकबा–10 कट्ठा 04 धूर भूमि को लेकर है। **अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता के अनुसार** प्रश्नगत भूमि अपीलकर्ता की पैतृक भूमि है जो R.S खतियान में मुखलाल राय के नाम से दर्ज है। स्व० महंत राय जो स्व० मुखलाल राय के पुत्र रहे है के द्वारा अपनी पुत्री शिवझरी देवी के पक्ष में खाता सं०–648, रकबा–10 कट्ठा 04 धूर भूमि उपहार स्वरूप (Gift deed) दिया गया। अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा कहा गया कि Gift deed के आधार पर प्राप्त 10 कट्ठा 04 धूर भूमि पर कभी भी शिवझरी देवी का दखल–कब्जा नहीं रहा है तथा Gift deed अप्रभावी	

WEB COPY NOT OFFICIAL

कागजात के रूप में रहा है। अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का आगे कथन है कि प्रश्नगत भूमि को लेकर उभय पक्ष के बीच विवाद रहा है तथा प्रस्तुत वाद में स्वत्व निर्धारण का जटिल प्रश्न निहित है, ऐसी स्थिति में निम्न न्यायालय को उक्त के संबंध में आदेश पारित करने की अधिकारिता नहीं थी। उक्त के आलोक में अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अनुरोध किया गया कि निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश को निरस्त किया जाय।

विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता के अनुसार R.S खतियान में खाता सं०–291, खंसरा सं०–648, रकबा–10 कट्ठा 04 धूर भूमि के खतियानी रैयत मुखलाल राय रहे है। मुखलाल राय अपने पीछे एक मात्र पुत्र स्व० महंत राय को छोड़कर स्वर्गवासी हो गए जिसके कारण स्व० मुखलाल राय के सम्पूर्ण संपति पर उनके पुत्र महंत राय का अधिकार हुआ। महंत राय के एक मात्र पुत्री शिवझरी देवी हुई जो अपने पिता के साथ ही उनके सेवा के लिए रही। महंत राय द्वारा प्रश्नगत भूमि अपनी पुत्री शिवझरी देवी को उपहार स्वरूप दे दी गयी। शिवझरी देवी की शादी जगरनाथ सिंह से हुई। विपक्षी सं०–02 से 04 क्रमशः राज किशोर सिंह, अवध किशोर सिंह, एवं नंद किशोर सिंह, स्व0 शिवझरी देवी के पुत्र है। इस क्रम में विपक्षी अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि उभय पक्ष के बीच अन्य खाता/खेसरा की भूमि के साथ ही प्रश्नगत खाता सं०–291, खेसरा सं०–648, रकबा–10 कट्ठा 04 धूर भूमि को लेकर न्यायालय **प्रथम अवर न्यायाधीश, सिविल कोर्ट, सीवान के समक्ष स्वत्व वाद सं०–63/2022** सम्प्रति विचाराधीन है।

विद्वान सरकारी अधिवक्ता के अनुसार उभय पक्ष के बीच रैयती भूमि पर अधिकार के प्रश्न को लेकर विवाद है। चूँकि प्रस्तुत मामले में स्वत्व निर्धारण का जटिल प्रश्न विहित है, जो राजस्व न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर का विषय है तथा उभय पक्ष के बीच प्रश्नगत भूमि से संबंधित एक स्वत्व वाद भी समक्ष व्यवहार न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है, ऐसी स्थिति में प्रस्तुत अपीलवाद की सुनवाई इस स्तर पर किया जाना समुचित नहीं है।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सरकारी अधिवक्ता को विस्तारपूर्वक सुना तथा वाद अभिलेख एवं निम्न न्यायालय के आदेश में पोषित

WEB COPY NOT OFFICIAL

कागजातों का अवलोकन किया। उक्त के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि उभय पक्ष के बीच प्रश्नगत खाता सं०–291, खेसरा सं०–648, रकबा–00–10–04 के भूमि पर स्वत्व के निर्धारण को लेकर विवाद उत्पन्न है, जिसके संबंध में अपीलकर्ता द्वारा प्रथम अवर न्यायाधीश, सिविल कोर्ट, सीवान के समक्ष एक स्वत्व वाद सं०–63/2022 दायर किया गया है, जिसके अवलोकन से स्पष्ट है कि निम्न न्यायालय द्वारा BLDR वाद सं०–02/2021 में दिनांक–09.12.2021 को आदेश पारित होने के पश्चात् अपीलकर्त्ता द्वारा व्यवहार न्यायालय, सीवान में स्वत्व वाद सं०–63/2022 दायर किया गया है। ऐसे में एक ही बिन्दु पर दो अलग–अलग न्यायालयों में वाद चलाया जाना नियम संगत नहीं है। साथ ही रैयती भूमि पर स्वत्व निर्धारण का विषय राजस्व न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर का विषय है।

उपर्युक्त वर्णित कारणों से प्रस्तुत अपीलवाद को इस स्तर पर सुनवाई योग्य न पाते हुए उसे **खारिज** किया जाता है।

आई0टी0 सहायक को आदेश दिया जाता है कि आदेश प्राप्ति के 24 घंटे के अन्दर इस आदेश को आयुक्त कार्यालय के वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

लेखापित एवं संशोधित

आयुक्त **आयुक्त।**

WEB COPY NOT OFFICIAL